

२/१० अधिवक्तागण उपस्थित। वहस उभयपक्ष
२/२ अधिवक्तागण सुनी गई। वहस पर मत
किरा व पत्रावली का अवलोकन किया गया
प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन,
राइट एंव टाइटिल प्राप्ति के पक्ष में बनना
पामा जाता है। अतः हस्तगत प्रकरण में
दिनांक २२/१०/२०१६ को जारी अस्थायी
निषेधाज्ञा मूलवाद के निर्णय तक स्थायी
की जाती है। पत्रावली निर्णय लेकर
मूलवाद के साथ संलग्न है।



⑤
राजस्व अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर